



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

3 चैत्र, 1947 (श०)

संख्या - 145 राँची, सोमवार,

24 मार्च, 2025 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

आदेश

25 फरवरी, 2025

आदेश सं०-5/आरोप-1-33/2023 का०-1107--श्री हफीजुल हसन, माननीय मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के गै० सं०प्रे०सं०-2090, दिनांक 23.06.2023 द्वारा मो० जियाउल अंसारी, झा०प्र०से०, तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य हज कमिटी, राँची के विरुद्ध कोलकाता में हज यात्रियों की सुविधा के लिए आवश्यक इंतजाम नहीं करने, निदेश के बावजूद इस पर संज्ञान नहीं लिये जाने, उक्त कार्यों में शिथिलता बरतने एवं निदेशों के अवहेलना करने संबंधी आरोप प्रतिवेदित किया गया ।

उक्त प्रतिवेदित आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक- 3913, दिनांक- 13.07.2023 के द्वारा श्री जियाउल अंसारी से स्पष्टीकरण की मांग की गयी ।

उक्त आरोपों पर मो० जियाउल अंसारी के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में प्रतिवेदित किया गया है कि विषयांकित मामला कार्यपालक पदाधिकारी, पश्चिम बंगाल राज्य हज समिति कोलकाता के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत है। इस संबंध में कार्यपालक पदाधिकारी, पश्चिम बंगाल राज्य हज समिति के पत्रांक- 355/23, दिनांक- 25.07.2023 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि झारखण्ड सहित अन्य राज्यों के हज यात्रियों के हज यात्रियों की आवासन की सारी सुविधा पश्चिम बंगाल राज्य हज समिति द्वारा प्रदान की जाती है। दूसरे राज्यों की हज समितियों को अलग से व्यवस्था करने का कोई प्रावधान नहीं है।

माननीय मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार के राज्य की हज यात्रियों से मिलने के क्रम में उनके द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य हज समिति के द्वारा हज यात्रियों के लिए बनाये गये पंडाल एवं हज हाउस के कमरों में कूलर एवं एसी की व्यवस्था कराने के निर्देश अधोहस्ताक्षरी को दिया गया। उक्त निर्देश के आलोक में इनके द्वारा तत्क्षण कार्यपालक पदाधिकारी, पश्चिम बंगाल राज्य हज समिति से आवश्यक सुविधाएं जैसे कूलर एवं एसी की व्यवस्था हेतु अनुरोध किया गया एवं माननीय मंत्री को अवगत भी कराया गया एवं माननीय मंत्री के निर्देशों से अवगत भी कराया गया। माननीय मंत्री के द्वारा स्वयं भी झारखण्ड के हज यात्रियों के लिए कूलर एवं एसी की सुविधा प्रदान करने के संदर्भ में अध्यक्ष एवं कार्यपालक पदाधिकारी, पश्चिम बंगाल राज्य समिति से अनुरोध किया गया। इनके द्वारा राज्य के हज यात्रियों को सुविधा प्रदान करने में कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में कोई कोताही नहीं बरती गई और न ही शिथिलता एवं अनुशासनहीनता संबंधी कोई कार्य किया गया है।

मो० जियाउल अंसारी से प्राप्त स्पष्टीकरण की छायाप्रति विभागीय पत्रांक- 5228 दिनांक- 18.09.2023 के द्वारा अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची को भेजी गयी तथा जाँचोपरांत आरोप प्रमाणित पाये जाने पर श्री अंसारी के विरुद्ध आरोप पत्र उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया।

उक्त के क्रम में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक- 3342, दिनांक- 16.12.2024 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि माननीय मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण द्वारा मो० जियाउल अंसारी, झा०प्र०से०, तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य हज समिति के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों पर मो० जियाउल अंसारी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को माननीय मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण द्वारा स्वीकार किया गया है।

अतः समीक्षोपरांत, मो० जियाउल अंसारी, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 32/20), तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य हज कमिटी, राँची से संबंधित इस मामले को संचिकास्त किया जाता है।

अनल प्रतीक मिंज,
सरकार के उप सचिव।
